रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1515] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2008/कार्तिक 7, 1930
No. 1515] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2008/KARTIKA 7, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2008

सं. 51 (आरई-2008)/2004—2009

का.आ. 2548(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 (11-4-2008 को अद्यतन) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 5.2 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) स्कीम में वह सेवा प्रदायक भी शामिल है जो विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग अथवा निर्यात विशिष्ट नगर में स्टेट इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरल कारपोरेशन द्वारा सामान्य सेवा प्रदायक (सी एस पी) के रूप में विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित शर्तों के तहत नामित/प्रमाणित है :—

(i) सी एस पी को दिए जाने वाले ई पी सी जी लाइसेंस में प्रयोक्ता के ब्यौरे और निर्यात दायित्व (ई ओ) की मात्रा का स्पष्ट पृष्ठांकन होना चाहिए, जिसे हर प्रयोक्ता को पूरा करना है;

(ii) ऐसे निर्यातों का परिकलन अन्य विशिष्ट निर्यात दायित्वों को पूरा करने हेतु नहीं किया जाएगा; और

(iii) सी एस पी के अलावा सी एस पी के हर प्रयोक्ता को निष्पादन किए जाने वाले निर्यात दायित्व की मात्रा के अनुसार आवंटित, छोड़ दिए गए शुल्क के हिस्से के बराबर 100% बैंक गारण्टी (बी जी) प्रस्तुत करनी होगी तथा दायित्व पूरा न किए जाने की सूरत में बैंक गारण्टी लागू की जाएगी ।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/94/180/739/एएम-08/पीसी-I]

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2008

No. 51 (RE-2008)/2004—2009

S.O. 2548(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2004—2009, as amended, the Central Government hereby makes the following amendments with immediate effect in FTP, 2004—2009 (Updated as on 11-4-2008) :—

2. The following shall be added at the end of Paragraph 5.2 of FTP :—

Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme also covers a service provider who is designated/certified as a Common Service Provider (CSP) by the DGFT, Department of Commerce or State Industrial Infrastructural Corporation in a Town of Export

Excellence subject to provisions of Foreign Trade Policy/Handbook of Procedures with the following conditions :–

(i) EPCG licence to be given to the CSP should have a clear endorsement giving the details of the users and the quantum of Export Obligation (EO) which each user would fulfil;

(ii) Such exports will not count towards fulfilment of other specific export obligations; and

(iii) Each one of the users of the CSP apart from the CSP should furnish 100% Bank Guarantee (BG) equivalent to their portion of duty foregone apportioned in terms of quantum of EO to be discharged by them and the B. G. will be enforced in the event of the obligation not being fulfilled.

2. This issues in public interest.

[F. No. 01/94/180/739/AM 08/PC-I]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.